70

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /12—13 निगरानी

R.943-I/13

भगवानसिंह पिता कालुराम जाति—कुल्मी आयु लगभग-37 वर्ष धंधा—खेती निवासी ग्राम—टुकराना तहसील व जिला—शाजापुर।

प्रार्थी

बनाम

(1) मनसिंह पिता नगजीराम जाति—कुल्मी आयु लगभग 52 वर्ष धंधा—खेती निवासी ग्राम—टुकराना तह0 व जिला-- शाजापुर।

(2) मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम टुकराना।

विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश माननीय अपर कलैक्टर महोदय जिला--शाजापुर, के द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 17/निगरानी/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 से असंतुष्ट होकर जिसके द्वारा मान. अपर कलैक्टर महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर के प्रकरण कमांक 39 अपील 09—10 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2010 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया, से असंतुष्ट होकर।

श्री [illegible] श्री डी.आर. [illegible] द्वारा [illegible] दि. 20.2.13 को [illegible] पर प्रस्तुत।

20.2.13

[illegible] 27.2.13

भगवानसिंह

2

निरंतर......2.....

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-943-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	